

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

दिनांक:-17.06.2019

प्रकरण संख्या:- 128 /2019

श्री बसन्तीलाल पिता कालुलाल जाति जटिया आयु 52 साल निवासी नरसाखेड़ी तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ रज०।

//बनाम//

1. श्री मानमल पिता जगराम जाति जटिया आयु वयस्क निवासी नरसाखेड़ी तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
2. श्री देवीलाल पिता नाथुलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी नरसाखेड़ी तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
3. श्री दिनेश पिता नाथुलाल जाति जटिया आयु वयस्क निवासी नरसाखेड़ी तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
4. श्री शंकरलाल पिता नानुराम जाति जटिया आयु वयस्क निवासी नरसाखेड़ी तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा०ले०रे०एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा नरसाखेड़ी प०ह० बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 96 की आराजी न० 178 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, आराजी न० 179 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे.मु चाह, आराजी न० 180 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, आराजी न० 181 रकबा 0.4300 हैक्टेयर कुल कीता 4 कुल रकबा 1.4300 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 600/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं हाने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा नरसाखेड़ी प०ह० बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 96 की आराजी न० 178 रकबा 0.5100 हैक्टेयर, आराजी न० 179 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे.मु चाह, आराजी न० 180 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, आराजी न० 181 रकबा 0.4300 हैक्टेयर कुल कीता 4 कुल रकबा 1.4300 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करे।

आज दिनांक 17.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



401
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज०)

